न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 45/2021 Gcms No. 2021/96
दायरा तिथि : 16.06.2021
आदेश दिनांक: 18-8-2021

प्रार्थीगण :–

1. जगाराम पुत्र लालारामजी
2. सुरेश पुत्र पकारामजी
3. दिनेश पुत्र पकारामजी
4. नरेश पुत्र पकारामजी
5. तारा पुत्री पकाराम
6. रेखा पुत्री पकाराम
7. कन्यादेवी पत्नि स्व. पकाराम
8. पोमाराम पुत्र लालाराम
9. अन्सी पुत्री लालाराम
10. कन्या पुत्री लालाराम
11. सुमा पुत्री लालाराम
12. दरिया पुत्री लालाराम
13. श्रीमति फुलीदेवी पत्नि स्व. लालारामजी समस्त जातिगण सिरवी चौधरी
    निवासीगण पातावा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

ओमपालसिंह पुत्र दलपतसिंहजी जाति चारण
निवासी मिरगेश्वर तहसील बाली जिला पाली (राज0)

उपस्थिति :–

1. श्री विरमदेवसिंह सोनिगरा — अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री भरत जे. राठौड — अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक : 18-8-2021

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 07 सी.पी.सी एवं आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सी.पीसी. व आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2019 बअनवान् ओमपालसिंह बनाम जगाराम वगैरा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिनांक 18.02.2021 को प्रार्थीगण के विरूद्व पारित एक पक्षीय कार्यवाही आदेश एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2021 प्रार्थीगण के जानकारी के वाला वाला होने से पारित एक पक्षीय आदेश एवं न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश को अपास्त कर प्रार्थीगण (तथा कथित वाद के प्रतिवादीगण) को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण को मैरिट पर निर्णित किये जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि वादी द्वारा न्यायालय के जरिये तारीख 23.1.2019 को सम्मन जारी करवाये गये, जिस पर तमाम सम्मनो पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट आई कि तमाम अप्रार्थीगण **मुम्बई महाराष्ट्र मे निवास करते हैं व मकानात पर ताला लगा हुआ मकान बन्द** हैं। न्यायालय में तामील कुनिन्दा की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसमें साफ जाहिर हैं कि प्रतिवादीगण एक से 13 गांव पातावा में निवास नही करते है व उनके मकान तालाबन्द हैं। तमाम का निवास मुम्बई महाराष्ट्र बताये गये। ऐसी स्थिति में अगर वादी **Substituted Servic (प्रतिस्थपित तामील)** के जरिये अखबार में सम्मन छाया, करवाकर प्रतिवादीगण की तामिल करवाना चाहता है तो उसके मुम्बई महाराष्ट्र में प्रकाशित होने वाले किसी स्थानिय अखबार में सम्मन को छाया करवाया जाना जरूरी था। मगर वादी ने जानबुझकर प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय डिक्री लेने के लिए राजस्थान के स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति में सम्मन छाया करवाकर **Substituted Servic (प्रतिस्थपित तामील)** को पुरा करवाया, जो अवैद्य, गैर कानूनी व शून्य तामिल की परिभाषा में आता हैं। वादी आदेश 05 नियम 20 के तहत प्रतिवादीगण की तामील प्रोसेस सर्विस, तथा रजिस्टर्ड डाक से तामिल नहीं होने की दशा में **Substituted Servic (प्रतिस्थपित तामील)** तामील कराने का अधिकारी होता परन्त उक्त प्रकरण में वादी ने प्रतिवादीगण की तामिल बावत् आज्ञापक नियमों की पालना नहीं कर प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करवाने एवं एक पक्षीय डिक्री लेने के उददेश्य से तामील की कार्यवाही की जो पूर्ण रूप से गैर कानूनी व शून्य तामील होने से तामील की कार्यवाही को खारिज योग्य बताया। न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में हाल ही में पटवारी हल्का सेवाडी द्वारा प्रतिवादीगण (प्रार्थीगण) को एक नोटिस भेजकर वादग्रस्त भूमि के बंटवाडे हेतु बुलाया गया तब जानकारी हुई कि माननीय उपखण्ड अधिकारीजी के न्यायालय से जारी प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में बंटवाडा करवाया जाना हैं। उस पर प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर न्यायालय हाजा में जांच करवाई तथा पत्रावली की नकलो हेतु आवेदन पत्र दिनांक 6.4.2021 को पेश किया गया व नकले दिनांक 7.4.2021 को प्राप्त हुई तब उनके अवलोकन से यह जानकारी हुई कि वादी ने प्रतिवादीगण के सम्मन की तामिल गलत व गैर कानूनी रूप से अवैद्य करवाई जो तामिल की परिभाषा में नहीं आती हैं।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

तथा उक्त अवैद्य तामील की प्रक्रिया पुरी कर प्रतिवादीगण के विरूद्व दिनांक 18.02.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही करवाई गई और न्यायालय से दिनांक 25.02.2021 को एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री भी प्राप्त की। इस प्रकार बिना तामिल की प्रक्रिया पुरी कर प्रतिवादीगण के विरूद्व दिनांक 18.02.2021 को पारित एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2021 को पारित प्राथमिक डिक्री दोनो ही एक पक्षीय होने से इन आदेशो को अपास्त कर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य आदेश दिनांक 22.01.2019 से 25.2.2021 की आर्डर शीट, प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2021 की प्रतियॉ पेश की गई।

प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे राठौड द्वारा पैरावाईज जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण स्थायी रूप से पातावा ग्राम के निवासी हैं तथा पटवार हल्का सेवाडी द्वारा बंटवाडा के लिये उपस्थित रहने बाबत् नोटिस की तामील पातावा में ही करवाई है, फिर भी न्यायालय द्वारा भेजे गये समन्स को लेने में गुरेज व आनाकानी करने के कारण प्रतिवादीगण को तामिल कराने हेतु न्यायालय द्वारा समन्स की तामिली अखबार छाया के जरिये करवाये जाने के आदेश दिये गये, जो कानून वैद्य आदेश हैं। प्रतिवादीगण को पटवारी हल्का द्वारा समन्स की तामिली करवाने से पहले वादपत्र पेश होने की जानकारी रही है जिससे प्रतिवादीगण का यह कहना की प्रतिवादीगण के विरूद्व पारित एक तरफ कार्यवाही की जानकारी व एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2021 की जानकारी दिनांक 6.4.2021 को हुई है का कथन गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थी अपनी सह खातेदारी भूमि का बंटवाडा माप व सीमांकन के जरिये करवाने का अधिकारी हैं। तथा मुख्य सडक से प्रार्थीगण की तरह अप्रार्थी भी हिस्से अनुसार सडक से लगती हुई भूमि बंटवाडा के जरिये प्राप्त करवाने का अधिकारी हैं। जिससे प्रार्थीगण को आपत्ति करने का विधि अनुसार कोई हक व अधिकार नहीं रहता हैं। जिससे भी प्रार्थीगण एक तरफा आदेश व एक तरफा प्राथमिक डिक्री को मनसुख व निरस्त कराने के अधिकारी नहीं हैं। जबाव के अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा जबाव प्रस्तुत करने से प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सी.पी.सी व आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर वकील प्रार्थीगण श्री विरमदेवसिंह सोनिगरा एवं वकील अप्रार्थी श्री भरत जे. राठैड की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण श्री विरमदेवसिंह सोनिगरा ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि तथाकथित वाद में प्रतिवादीगण की तामील की कार्यवाही विधि विरूद्व होने से तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2021 को प्रतिवादीगण के विरूद्व पारित एक पक्षीय आदेश एवं पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2021 प्रतिवादीगण की जानकारी के बाले–वाले होने से उक्त पारित आदेश प्रार्थीगण के विरूद्व बेअसर होने से इन आदेश को अपास्त कर प्रकरण में प्रतिवादीगण का जबाव प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरित अधिवक्ता अप्रार्थी श्री भरत जे. राठौड द्वारा बहस में जबाव में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थीगण को तथाकथित वाद की पुर्ण जानकारी शुरू से रही है, तथा प्रार्थीगण ग्राम पातावा तहसील क्षैत्र बाली के स्थायी निवासी है। जिससे प्रोसेस सर्विस के जारी सम्मन तामिल में प्रतिवादीगण द्वारा गुरेज करने से न्यायालय के आदेश से प्रतिस्थापित तामिल सम्मन स्थानिय अखबार दैनिक नवज्योति में प्रकाशित कराये गये थे। प्रार्थीगण यदि महाराष्ट्र राज्य में रहते तो पटवारी हल्का, सेवाडी द्वारा बंटवाडे के लिये दिये प्रार्थीगण को नोटिस की तामिल कैसे हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या कथनो के आधार पर प्रस्तुत होने से खारिज कर प्रकरण में प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस एवं आदेश 09 नियम 07 सी.पी.सी. व आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. में वर्णित विधिक प्रावधानो पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में जाहिर हैं कि प्रार्थीगण द्वारा मुम्बई महाराष्ट्र में निवासरत होने का कथन करते हुये **Substituted Servic (प्रतिस्थपित तामील)** से राजस्थान राज्य के स्थानिय दैनिक नवज्योति अखबार में सम्मन छाया की जानकारी नहीं होने से प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के विरूद्व न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2021 को पारित एक पक्षीय आदेश एवं इसके बाद दिनांक 25.02.2021 को पारित प्राथमिक डिक्री आदेश को अपास्त किये जाने की मांग करते हुये प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का जबावदावा प्राप्त कर प्रकरण को मैरिट पर निर्णित किये जाने की दलील दी गई। हस्तगत् प्रकरण में उक्त तथ्य भी प्रमाणित हैं कि उक्त वाद रेकर्डेड सह खातेदारो के मध्य विभाजन का वाद है, जिसमें न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में विभाजन रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। परन्तु प्रकरण ये ज्ञात तथ्य हैं कि प्रतिवादीगण महाराष्ट्र में निवास करते है, तथा सम्मन राजस्थान राज्य के स्थानिय दैनिक नवज्योति अखबार में छाया हुये है। एवं प्रार्थीगण की सम्मन तामील के सबंध में ही मुख्य आपत्ति/ एतराज है, इन परिस्थितियों में यदि प्रार्थीगण के एतराज/आपत्ति को खारिज कर प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी होती है, तो प्रथम दृष्ट्या अपीलीय मामला बनने से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिससे उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् नैसृगिक न्याय के सिद्वान्तो की अनदेखी न हो, इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आदेश 09 नियम 07 सी.पी.सी व आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी. पीसी.स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि मूल वाद में आयन्दा पेशी तक अपना जबावदावा/ एतराज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, तथा मूल राजस्व वाद 10/2019 अनवान ओमपालसिंह नबाग जगाराम वगैरा के संलग्न हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 18-8-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner